कार्यालय अंचल अधिकारी, कर्रा।

आदेश फलक

आदेश

संदिग्ध जमाबंदी वाद सं0– 228/2016

आदेश की तिथि एवं क्रमांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की टिप्पणी

23.07.2021

अभिलेख उपस्थापित। जमाबंदी रैयत के वंशज ज्योतिन्द्रनाथ लाल शाहदेव ने संदिग्ध जमाबंदी मौजा–जरियागढ़, थाना नं0–25 खाता सं0–174 प्लॉट सं0–941, रकबा–2.87½ एकड़ भूमि अपने दावे के पक्ष में दस्तावेज समर्पित किया है।राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव ज्ञापांक–2074/रा0 दिनांक–13.05.2016 में निहित आदेश के अनुपालन में संदिग्ध जमाबंदी की जाँच प्रारम्भ की गई इसी अंतराल में झारखण्ड सरकार के संयुक्त सचिव पत्रांक–6205/रा0 दिनांक–27.12.2017 के तद्नुसार अपर समाहर्ता, खूँटी का ज्ञापांक–1370/रा0 दिनांक–29.12.2017 के आलोक में चिन्हित संदिग्ध जमाबंदी को नियमित करने हेतु निर्देश प्राप्त है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा–जरियागढ़, थाना नं0–25 के सर्वे खतियान में खाता सं0–174 प्लॉट सं0–941 गैरमजरूआ खास किस्म परती कदीम दर्ज है। राजस्व मांग पंजी II भोल्यूम II पेज सं0–52 छोटेलाल नागेन्द्रनाथ शाहदेव वल्द ठाकुर देवेन्द्रनाथ शाहदेव के नाम से खाता सं0–174 प्लॉट सं0–941 रकबा–2.87½ एकड़ भूमि प्रविष्ट है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों सादा हुकुमनामा–वर्ष 1945 ई0 है जो जमींदारी उन्मुलन के पूर्व का है। जमीन्दारी रसीद वर्ष 1953 ई0 है। जिसमें छोटेलाल नागेन्द्रनाथ शाहदेव के नाम से मौजा–जरिया,थाना नं0–25 खाता नं0–174 मधे प्लॉट सं0 941 रकबा–2.87½ एकड भूमि की मालगुजारी अदा की गई है। तथा नियमित मालगुजारी अदा करते आ रहे हैं।

एम फार्म Case no 01/1954-55 जमीन्दार ठाकुर महेन्दनाथ शाहदेव के नाम प्रविष्ट खाता सं0–174 प्लॉट सं0–941 रकबा–9.10 एकड़ भूमि (संलग्न) है । प्रतिवेदनानुसार जमाबंदी पंजी में वर्ष 1959 से संधारित है, प्रतिवादी का आवेदित भूमि पर दखल कब्जा है जमाबंदी का प्रर्याप्त व नियमानुकूल साक्ष्य समर्पित है।जमाबंदी रैयत सैनिक/अर्ध्दसैनिक बल के/वीरगति/शहीद/के उतराधिकारी पूर्व पाकिस्तान एवं वर्मा से आये हुए शरणार्थी भूमिहीन परिवार दिव्यांग नहीं है। शासकीय परिसर/संस्थान/राजपथ उच्चपथ से दूरी पर है। राजस्व उपनिरीक्षक श्री असारू मांझी एवं अंचल निरीक्षक श्री बिक्रम महली के स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं राजस्व कागजात के आधार पर संदिग्ध जमाबंदी को नियमित करने की अनुशंसा किया गया है।

राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के पत्रांक–704/रा0 दिनांक–15. 07.2020 में दिए गए निर्देश के आलोक में उपरोक्त भूमि मौजा–जरिया, थाना नं0–25, खाता सं0–174 प्लॉट सं0–941 रकबा–2.87½ एकड़ भूमि का बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 अधिनियम 4(h) से मुक्त किया जाता है। यह आदेश सक्षम न्यायालय के आदेश से प्रभावित होगा।

Digitally signed by BAIDYANATH KAMTI
Date: 2021.07.27 14:01:25 +05:30
Location: 192.168.43.147

लेखापित संशोधित

23/07

अंचल अधिकारी,
कर्रा।

23/07

अंचल अधिकारी,
कर्रा।